न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 65/2010

अनवान : —

1. श्रीमति विमलादेवी (पुत्री श्री लिछमण) धर्मपत्नि श्री बलवन्तराम जाति स्वामी निवासी नगराना, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। **प्रार्थी**

बनाम्

1. सुभाष पुत्र लक्ष्मण जाति स्वामी निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. नत्थूराम पुत्र लक्ष्मण जाति स्वामी निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
3. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति स्वामी निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री जेपी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण

19/5/18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि स्व० श्री ख्यालीराम पुत्र श्री ईशरराम प्रार्थीया के दादा थे । स्व० श्री ख्यालीराम की चक 2 आर0डब्ल्यू0डी0 व चक 4 आर0डब्ल्यू0डी0 तहसील टिब्बी निम्नलिखित विवरण की खातेदारी भूमि थी चक 2 आरडब्ल्यूडी खाता सं0 26/34 सम्वत 2052 प.न. 222/341 के मु.न. 42 किला न. 1 ता 10, 12 ता 15 व प.न. 223/342 के मु.न. 50 के किला न. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ता 10 की 23 बीघा 12 बिस्वा व चक 4 आरडब्ल्यूडी के खाता सं0 14/16 के प.न. 228/349 मु.न. 6 के किला न. 1,2, 9 ता 12, 19 ता 22 प.न. 227/350 मु.न. 13 के किला न. 1, 2 ता 5, 6 ता 9, 10—11, 12 ता 19, 20—21, 22 ता 25 प.न. 228/350 के मु.न. 14 के किला न. 1, 10, 11 प.न. 227/351 के मु.न. 17 के किला न. 1, 2, 3, 8, 9 की कुल 42 बीघा 8 बीस्वा भूमि दर्ज राजस्व रिकोर्ड थी। उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या — 4 को राजस्व वाद संख्या — 305ध्96 में पारित खाता विभाजन की डिक्री दिनांक 13—08—96 के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण की भूमि प्राप्त हुई चक 2 आरडब्ल्यूडी के प.न. 222/341 के किला न. 1 ता 3, 6, 7, 8 ता 10, 12 ता 15 की कुल 11.14 बीघा, चक 4 आरडब्ल्यूडी के प.न. 227/350 के मु.न. 13 किला न. 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25, प.न. 228/350 के किला न. 10, 11, प.न. 227/351 मु.न. 17 किला न. 1, 2, 8, 9 की कुल 20 बीघा 19 बिस्वा चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 13—08—96 संलग्न प्रार्थना—पत्र है व इस डिक्री के अनुसरण में चक 2 आर0डब्ल्यू0डी0 में दर्ज इन्तकाल संख्या — 102 व चक 4 आर0डब्ल्यू0डी0 में दर्ज

इन्तकाल संख्या – 80 की प्रमाणित प्रतिलिपि की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना–पत्र है । चरण संख्या–4 में वर्णित चक 2 आर0डब्ल्यू0डी0 की 11 बीघा 14 बिस्वा व चक 4 आर0डब्ल्यू0डी0 की 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या – 4 की स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति है । इस पैतृक सम्पति में प्रार्थीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम (संशोधित अधिनियम संख्या – 39 सन् 2005) में हुये संशोधन के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सहदायिक है तथा प्रतिवादी संख्या –4 के पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या –1 से 3 के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या –4 की पुत्रियां अर्थात प्रार्थीया व प्रतिवादीगण संख्या –5 से 6 व मृतका कमलादेवी का पुत्र प्रतिवादी संख्या–7 भी सहदायिक होने से उक्त पैतृक सम्पति में वहिस्सा बराबर की अधिकारी हैं तथा इस प्रकार प्रार्थीया का उक्त वर्णितं कुल 32.13 बीघा में 1/8 हिस्सा 4 बीघा 1 –बिस्वा यानि अर्थात 1.033 हैक्टेयर का हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीया उक्तानुसार उक्त वर्णित भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी व दावेदार है । यह कि अप्रार्थीगण संख्या–1 से 3 ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र राजस्व वाद संख्या – 68/2010 दिनांक 19–04–2010 को प्रस्तुत किया तथा उक्त वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होने से पैतृक सम्पति होना व्यक्त करते हुये यह भूमि प्रतिवादी संख्या–4 को अपने पिता स्व० श्री ख्यालीराम से विरास्तन प्राप्त होने का कथन किया तथा उक्त वर्णित समस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या – 1 से 3 ने अपनी खातेदारी होने की घोषणा चाही। इस वादपत्र में प्रतिवादी संख्या – 4 ने उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया तथा अप्रार्थीगण संख्या – 1 से 3 ने इस वादपत्र में अपनी बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया तथा न्यायालय से धोखा करते हुये आनन–फानन में उक्त राजस्व वाद संख्या – 68/2010 में दिनांक 26–04–2010 को राजीनामा के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली तथा इस डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवा लिया । चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबन्दी चक 2 आर0डब्ल्यू0डी० खाता संख्या–81/53 सम्वत 2064–2067 व चक 4 आर0डब्ल्यू0डी० खाता संख्या – 51/ 41 सम्वत 2064–2067 संलग्न प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थीया को उक्त डिक्री का ज्ञान होने पर प्रार्थीया ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक "श्रीमति विमलादेवी बनाम सुभाष आदि" प्रस्तुत की । इस अपील में माननीय न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या–1 से 3 ने उक्त राजस्व वाद संख्या – 68/ 2010 में पैतृक सम्पति होने का कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था बल्कि प्रतिवादी संख्या – 4 की संस्वीकृति एवं सहमति के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 26–04–2010 को यह डिक्री पारित की थी। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अभिलेख पर पैतृक सम्पति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख न होने की स्थिति

में प्रार्थीया की अपील दिनांक 12-08-2010 को निरस्त फरमाई लेकिन साथ प्रार्थीया को यह छूट भी दी कि यदि प्रार्थीया पैतृक सम्पति होना साबित करते हुये "अपने हक हकूक के बारे में नये सिरे से वादपत्र प्रस्तुत करती है तो इस निर्णय को उस पर विधि अनुसार विचार करने हेतु बाधा नहीं समझा जावेगा ।" चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 12-08-2010 संलग्न प्रार्थना-पत्र है । प्रश्नगत कृषि भूमि निर्विवाद रूप से पैतृक सम्पति है तथा अप्रार्थीगण संख्या - 1 से 4 ने परस्पर मिलीभगत करते हुये एवं प्रार्थीया को हिन्दू उतराधिकार अधिनियम (संशोधित अधिनियम 39 सन् 2005) में हुये संशोधन के परिणामस्वरूप विधि द्वारा पुत्री को सहदायिक होना मानने व उसका भी पुत्र के समान सहदायिक सम्पति में जन्म से हिस्सा होने की कानूनी स्थिति को भांपकर इस वादपत्र में प्रार्थीया को जानबूझकर पक्षकार न बनाकर धोखा व कपट से दिनांक 26-04-2010 को डिक्री हासिल कर सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण संख्या - 1 से 3 ने अपने नाम दर्ज करवाई है जो डिक्री प्रार्थीया के हकूक पर कतई बेअसर एवं निष्प्रभावी है तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ अपने हकूक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-08-2010 के अनुसार प्रार्थीया विधि अनुसार के बारे में यह दावा प्रस्तुत करने की अधिकारिणी हैं। प्रार्थीया का उक्त कुल 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि में 1\8 हिस्सा अर्थात 1.033 हैक्टेयर का हक व हिस्सा है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीया मुताबिक घोषणा पृथक से अपना खाता अच्छी- मन्दी के लिहाज से कायम करवाना चाहती है व मुताबिक खाता विभाजन अपने घोषित हिस्सा का दखल अप्रार्थीगण से प्राप्त करने की अधिकारिणी व दावेदार है । अप्रार्थीगण संख्या - 1 से 3 ने यह भूमि डिक्री संख्या - 68/2010 के निष्पादन में अपने नाम दर्ज करवा ली है तथा वे राजस्व अभिलेख में हुये गलत व विधि विरूद्ध अंकन का फायदा उठाते हुये उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने को कटिबद्ध है तथा इस भूमि पर भारी ऋण लेकर इसे अधिभारित करने पर तुले हुये हैं । यह भूमि बैय व मुन्तकिल हो जाने से प्रार्थीया का विधि द्वारा प्रदत अधिकारों पर कुठाराघात होगा । इन परिस्थितियों में प्रार्थीया अप्रार्थीगण संख्या-1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण संख्या - 1 से 3 प्रश्नगत भूमि को किसी भी प्रकार से बैय व मुन्तकिल तथा अधिभारित नहीं करें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है । अतः प्रार्थनादृपत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे प्रश्नगत भूमि चक 2 आर0डब्ल्यू0डी0 तहसील टिब्बी के खाता संख्या - 81/53 सम्वत 2064 - 2067 तादादी 2.960 हैक्टेयर व चक 4 आर0डब्ल्यू0डी0 तहसील टिब्बी के खाता संख्या - 51/41 सम्वत 2064-2067 तादादी 5.301 हैक्टेयर कुल तादादी 8.261 हैक्टेयर को ताफैसला दावा किसी भी प्रकार से बैय व मुन्तकिल तथा अधिभारित करने से निषिद्व रहें।

अधिवक्ता एवं नोटरी
टिब्बी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबंद करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अप्रार्थीगण ने जरिये वाद बअनवानी सुभाष आदि बनाम लिक्ष्मण आदि अन्तर्गत धारा 88–53 आरटीए निर्णय दिनांक 26.04.2010 से अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवायी है। निर्णय व डिक्री जो मूल वाद में सलग्न है का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णित वाद में बतौर पक्षकार प्रार्थीया को शामिल नहीं किया गया है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि में अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–53–188 आरटीए न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित भूमि के पैतृक सम्बंधी बिन्दू साक्ष्य–सबूत एवं तनकीयात के बाद ही तय होने है। यदि विवादित आराजी को प्रार्थीया के हक–अधिकारों की घोषणा से पूर्व खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीया को नुकसान होने की पूरी–पूरी संभावना है। अतः प्रथम दृष्टंया मामला, सुविधा का संतुलन बिन्दू व अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होकर प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थीया के मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी को सुरक्षित रखना न्यायालय के अभिमत में सही होना जाहिर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी चक 2 आर0डब्ल्यू0डी के खाता सं0 81/53 सम्वत 2064–2067 कुल तादादी 2.960है. व चक 4 आरडब्ल्यूडी के खाता सं0 51/41 संवत 2064–2067 कुल 5.301है. भूमि को रहन, बैय व मुन्तिकल ना करें व विवादित आराजी के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

निर्णय आज दिनांक 19/5/26 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़